आदरणीय राष्ट्रपति महोदय,

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली।

5 जनवरी, 2018

विषय : <u>दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करने संबंधित हरियाणा सरकार के बिल को अनुमति न देने बारे अनुरोध।</u>

महामहिम महोदय,

हम आपका ध्यान हरियाणा सरकार के एक गलत फैसले से पीड़ित लाखों किसानों की समस्या की ओर दिलाना चाहते हैं। **हरियाणा सरकार ने एक अविवेकपूर्ण व असंवैधानिक निर्णय लेते हुए उत्तरी हरियाणा के लिए अति महत्वपूर्ण 32 साल पुरानी दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करके किसानों की जमीन उन्हें वापस करने का फैसला किया है।**

1. **दादूपुर नलवी नहर परियोजना उत्तरी हरियाणा की जीवनरेखा है और इससे 225 गांवों की लगभग 1 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का सीधा लाभ और लगभग इतनी ही अतिरिक्त जमीन को वाटर रिचार्जिंग के माध्यम से लाभ मिलना था।** दादूपुर नलवी नहर परियोजना सन 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरु की गई थी। अक्टूबर, 2005 में कांग्रेस ने ही एक बार फिर से इस योजना को चालू किया और किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने व भूजल स्तर उठाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शाहबाद फीडर, शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी और नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए 1019 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 200 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा इन नहरों को बनाने में 111 करोड़ 17 लाख रु. खर्च किए जा चुके हैं और पीडब्लूडी विभाग द्वारा भी सड़कें बनाने में लगभग 100 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। **400 करोड़ रु. से ज्यादा खर्च करने के बाद उत्तरी हरियाणा के गिरते भूजल स्तर को नया जीवनदान देने वाली इस परियोजना को रद्द करने से न केवल लाखों किसान परिवारों को सीधा नुकसान होगा, वहीं पानी की कमी से जमीन में उर्वरता नहीं रहेगी और देश के कृषि उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा।**

2. **एक अनुमान के मुताबिक लगभग 58 फुट चौड़ी व 30 फुट गहरी इस नहर को पाटने में किसान को प्रति एकड़ लगभग 40 लाख रु. का खर्चा आएगा, जो भूमि की कीमत के बराबर है। इसके अलावा किसानों को पहले दिए जा चुके मुआवज़े की राशि वापस करने के लिए किसान को लगभग 10 लाख से 20 लाख रु. प्रति एकड़ सरकार को देने होंगे।** किसान वर्ग पहले ही सरकार की गलत नीतियों के चलते हताश और निराश है। फसलों की लागत पर उतना ही लाभ देने का वायदा करके सरकार में आई भाजपा के शासनकाल में किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे हालात में किसान 50 से 60 लाख रु. प्रति एकड़ कहां से देगा और कैसे अपना गुजारा करेगा। इसे देने के लिए किसान को या तो अपनी बाकी की जमीन बेचनी पड़ेगी या फिर सरकार उसकी संपत्ति की कुर्की कर लेगी।

3. **अधिग्रहण की गई भूमि पर 10 किलोमीटर से अधिक तो सड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग के अनेक पुल पहले ही बन चुके हैं। इस बिल के कानून बनने से सड़कों को नए सिरे से उखाड़ना होगा, ताजा बने हुए पुलों को तोड़ना होगा व राष्ट्रीय राजमार्ग–73 की अलाईनमेंट भी नए सिरे से करनी पड़ेगी।** इसके अलावा सरकार के इस फैसले से दादूपुर नलवी नहर के साथ साथ **सरस्वती प्रोजेक्ट** भी अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती नदी में पानी न मिलने पर दादूपुर नलवी का पानी ऊंचा चांदना गांव में सरस्वती नदी में छोड़ मौजूदा सरकार द्वारा खानापूर्ति की गई है।

4. **महामहिम जी, हरियाणा के मंत्रीमंडल द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी व असंवैधानिक है।** भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में 1019 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और मुआवज़ा दिया गया। एक बार जो जमीन सरकार की मिल्कियत बन जाती है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। यह कानून उच्चतम न्यायालय यानि सुप्रीम कोर्ट तक निर्धारित किया गया है।

   उचित मुआवज़ा कानून, 2013 में हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिग्रहीत भूमि को डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता। उचित मुआवज़ा कानून, 2013 की धारा 101 में मात्र वो अधिग्रहीत जमीन वापस दी जा सकती है, जिसका इस्तेमाल जमीन अधिग्रहण के लक्ष्य के लिए नहीं हो पाया है। **मौजूदा स्थिति में पूरी जमीन दादूपुर नलवी नहर के लिए इस्तेमाल हो चुकी है। इसलिए 2013 के कानून की धारा 101 के तहत हरियाणा सरकार इस जमीन को डिनोटिफाई नहीं कर सकती।**

   हरियाणा सरकार ने उचित मुआवजा कानून, 2013 में संशोधन कर धारा 101-A, को इसमें जोड़ दिया, ताकि बगैर किसी कारण के ही सरकार को अधिग्रहीत भूमि को डिनोटिफाई करने की शक्ति मिल सके। क्योंकि धारा 101-A संसद द्वारा पारित कानून का संशोधन करती है, इसे कानून का अमली जामा पहनाने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद ही इसे संविधान सम्मत पारित कानून माना जा सकता है।

   इस कानून को राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलने से पहले ही हरियाणा के मंत्रीमंडल ने दादूपुर नलवी नहर परियोजना को खारिज करने तथा जमीन वापस करने का निर्णय ले लिया। यह अपने आप में गैरकानूनी व असंवैधानिक है।

   हमारा आपसे यह भी विनम्र अनुरोध है कि किसान हितों की रक्षा हेतु आप इस कानून को मंजूरी न दें। यह सीधा सीधा किसान की रोजी रोटी पर कुठाराघात होगा।

5. **एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि दादूपुर नलवी नहर परियोजना उत्तरी हरियाणा में गिरते जलस्तर को रोकने और इसे ऊपर उठाने के लिए बनाई गई थी। पूरे क्षेत्र को गिरते जलस्तर के कारण डार्क ज़ोन घोषित किया जा चुका है और सरकार द्वारा नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर रोक है।** हालत यह है कि किसानों को अपने पुराने ट्यूबवेल के कुओं में भी बोर करने और अपने ट्यूबवेल की मोटरों की हॉर्सपॉवर बढ़ाने तक पर पाबंदी है। **किसान को एक तरफ तो ट्यूबवेल से सिंचाई करने के लिए बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करके उसे नहरी पानी से वंचित किया जा रहा है।**

5. **एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि दादूपुर नलवी नहर परियोजना उत्तरी हरियाणा में गिरते जलस्तर को रोकने और इसे ऊपर उठाने के लिए बनाई गई थी। पूरे क्षेत्र को गिरते जलस्तर के कारण डार्क ज़ोन घोषित किया जा चुका है और सरकार द्वारा नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर रोक है।** हालत यह है कि किसानों को अपने पुराने ट्यूबवेल के कुओं में भी बोर करने और अपने ट्यूबवेल की मोटरों की हॉर्सपॉवर बढ़ाने तक पर पाबंदी है। **किसान को एक तरफ तो ट्यूबवेल से सिंचाई करने के लिए बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर दादूपुर नलवी नहर परियोजना को रद्द करके उसे नहरी पानी से वंचित किया जा रहा है।**

   इलाके की जनता पहले ही बेरोजगारी और मंदी से जूझ रही है और दादूपुर नलवी नहर परियोजना रद्द करने से किसान की कमर ही टूट जाएगी।

6. नहर बनाने, सड़क व पुल बनाने में लगे जनता की गाढ़ी कमाई के 400 करोड़ रु. बेकार चले जाएंगे, जो कि पूरी तरह गलत और अविवेकपूर्ण है। **गौरतलब है कि दादूपुर नलवी नहर परियोजना में यमुना नदी का अतिरिक्त पानी इस्तेमाल किया जाना है,** जिससे एक तरफ इलाके के गिरते जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकेगा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, वहीं बरसात के दिनों में आने वाली बाढ़ और यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनिपत और दिल्ली के इलाकों को बाढ़ से राहत मिलेगी। जिससे भूमि का कटाव नहीं होगा और किसानों को बाढ़ का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा।

7. **इस परियोजना को रद्द करने का फैसला करने के लिए लाए जा रहे बिल को अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस बिल के कानून बनने से जहां देश की 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन बंजर हो जाएगी,** सरकार द्वारा खर्च 400 करोड़ रु. बेकार चले जाएंगे और लाखों किसानों को भारी नुकसान होगा और वो सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को वापस करने की स्थिति में भी नहीं होंगे।

इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हरियाणा सरकार द्वारा पास किए गए इस एक्ट को अपनी अनुमति न दें और रद्द करके वापस भेज दें।

आपसे यह भी विनम्र अनुरोध है कि लाखों किसानों–मजदूरों की रोजी रोटी को बचाने की हिदायत हरियाणा सरकार को दें तथा धान व गन्ने का कटोरा कहे जाने वाले उत्तरी हरियाणा के इस उपजाऊ इलाके को बचाने की हिदायत हरियाणा सरकार को दें।

सादर,

Harpal Singh

रमेश गुप्ता

RANDEEP SINGH SURJEWALA

रणदीप सिंह सुरजेवाला

ईश्वर सिंह नैन

गुरनाम सिंह

प्रधान भारतीय किसान यूनियन हरियाणा

Lakhwinder Singh